भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 92A/2019–20

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

लखीन्द्र मुण्डा ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

बासुदेव सोरेन.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16.12.19		

विक्रेता :– लखीन्द्र मुण्डा पिता भरत चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बड़ागिधि, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–भूमिज।

क्रेता :– बासुदेव सोरेन पिता सालखु सोरेन, ग्राम–रोला, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 19.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता बासुदेव सोरेन पिता सालखु सोरेन, ग्राम–रोला, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
कालाझरना	राजनगर/180	136	2/अं0	0.08.4ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 971 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के स्वयं के नाम से जमाबंदी दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.79 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना एवं जाति–'भूमिज' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक......3.10.19......को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता लखीन्द्र मुण्डा पिता भरत चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बड़ागिधि, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता बासुदेव सोरेन पिता सालखु सोरेन, ग्राम–रोला, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला– खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.08.4एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

16/12/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

16/12/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner